राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018, फोन– 0141–2552796

क्रमांकः–प.14(76)RSSB /अर्थना / स.बा.वि.से. / एन.टी.टी. / पात्रता जांच / पार्ट–II / 2018 / 3690 दिनांक 18/12/2020

–::संशोधित विज्ञप्ति ::–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा–2018

बोर्ड द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में दिनांक 10.11.2020 को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1130 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 220 कुल 1350 रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सफल घोषित किया गया था। जिनमें से 1.5 गुना अभ्यर्थियों का पूर्व में दस्तावेज सत्यापन करवाकर उनमें से पात्र पाये गये 504 अभ्यर्थियों की अभिशंषा विभाग को भिजवा दी गई थी। शेष सूचीबद्ध 1.5 गुना 2095 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1615 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 480) अभ्यर्थियो को बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक प.14(76)RSSB/अर्थना / स.बा.वि.से. / एन.टी.टी. / पात्रता जांच / पार्ट–II / 2018 / 3590 दिनांक 01.12.2020 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 14.12.2020 से दिनांक 29.12.2020 तक प्रातः 10 बजे से निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 16.12.2020 के क्रम में दिनांक 21.12.2020 से दिनांक 29.12.2020 तक किये जाने वाले दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। इन अभ्यर्थियों को नवीनतम दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम के बारे में बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से अलग से सूचित किया जावेगा। विस्तृत जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहें।

(रामचन्द्र बैरवा)
उपसचिव